फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)

प्रार्थीगण

गणपत कुमार पुत्र हीरालाल जाति भील
निवासी बीजापुर तहसील बाली वगैरा

बनाम

अप्रार्थी

राजस्थान सरकार जरिये
(भूमिधारी) तहसीलदार बाली

किस्म मुकदमा राजस्व विविध प्रकरण सं. GCMS No. 2025/161
प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल मे जारी हुये
21/04/25	वकील प्रार्थीगण श्री गिरधारीसिंह उपस्थित।	

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 पेश किया। अप्रार्थी राज पेरोकार उपस्थित। अप्रार्थी राज पेरोकार द्वारा पत्थरगढी किये जाने हेतु किसी प्रकार की अनापत्ति पेश नहीं की गई। उपस्थित वकुलाय की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार है और उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है।

अतः प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाना चाहते है। ऐसी सूरत में विवादित भूमि की नेखमबंदी किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम उरणा पटवार हल्का भीमाना तहसील बाली के खसरा नंबर 824/7692 के चारो तरफ बाद पैमाईश पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार बाली को 1000/– रुपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगें। आवश्यकता होने पर तहसीलदार बाली को संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली

क्रमांक: कोर्ट/2025/339

दिनांक : 21-04-25

प्रार्थीगण
गणपत कुमार पुत्र हीरालाल जाति भील
निवासी बीजापुर तहसील बाली वगैरा

बनाम

अप्रार्थीगण
राज्य सरकार जरिये
(भूमिधारी) तहसीलदार बाली

किस्म मुकदमा राजस्व विविध GCMS NO. 2025/
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थरगढी

–:: आदेश ::–

उपरोक्त अनवान प्रकरण में ग्राम उरणा पटवारी हलका भीमाणा तहसील बाली के खसरा संख्या 824/7692 के सीमा बाद पैमाईश पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार बाली को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर शुल्क रूपये 1000/–प्रार्थी अदा करेंगे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर उन्हें सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बाली
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

क्रमांक: कोर्ट/2024/340-343

दिनांक : 21-04-25

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. तहसीलदार बाली
2. थानाधिकारी, पुलिस थाना नाना
3. हल्का पटवारी भीमाणा को तहसीलदार बाली द्वारा निर्धारित की गई तिथि को मय रेकर्ड मौके पर उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. गणपत कुमार पुत्र हीरालाल जाति भील निवासी बीजापुर तहसील बाली को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बाली
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner